

मानव संसाधन पेंशन प्रकोष्ठ निदेशालय

विषय: 22.08.2007 से पहले अलग हुए कार्मिकों के पेंशन दावे ।

भाविप्रा के पूर्व कर्मचारी जो 22.08.2007 (अर्थात ईपीएस-1995 के अंतर्गत कवरेज प्राप्त करने की तिथि अर्थात 01.04.1995 से) से पहले सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के कारण अलग हो गए थे, उनसे अनुरोध है कि वे 01.04.1995 से 10 या अधिक वर्षों की पीएफ सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात अपना पेंशन अंशदान ब्याज सहित जमा करें ताकि ईपीएस-1995 के अंतर्गत पेंशन लाभ प्राप्त किया जा सके।

ईपीएस-1995 के अंतर्गत पेंशन लाभ का दावा करने के लिए अंशदान विवरण और आगे की प्रक्रिया को भाविप्रा के संबंधित उन स्टेशन/हवाईअड्डों या क्षेत्रीय मुख्यालय से सत्यापित/पुष्टि की जा सकती है, जहां सदस्य भाविप्रा की सेवाओं से सेवानिवृत्त/अलग हुआ था।

(आर ए मीना)

संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन)